



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07122020-223565
CG-DL-E-07122020-223565

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3880]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 7, 2020/अग्राहायण 16, 1942

No. 3880]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 7, 2020/AGRAHAYANA 16, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 नवम्बर, 2020

का.आ. 4420(अ).— जबकि भारत सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (जेएचबिडिपिएल) के अभिनन अंग के रूप में बरौनी-गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन (बीजीपीएल) के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इंडिया) लिमिटेड द्वारा एक पाइप लाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइप लाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियों साधारण जनता को उपलब्ध कर

दी जाती है, 21 दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाए जाने की संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इंडिया) लिमिटेड, जलपाईगुरी जिला, पश्चिम बंगाल राज्य को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची बरौनी - गुवाहाटी पाइप लाइन परियोजना							
राज्य: पश्चिम बंगाल							
जिला	थाना	मौजा	थाना नं	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
					हेक्टेर	- आर	- वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6		
जलपाईगुरी	राजगंज	बिनागुरी(१६)	१९४	334	00	01	31
				533	00	04	89
				1200	00	10	75
				1248	00	05	84

[फा. सं. एल-14014/111/2019-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

**MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th November, 2020

S.O. 4420(E).— Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati Natural Gas Pipeline (BGPL) as an integral part of Jagdishpur- Haldia & Bokaro-Dhamra Natural Gas Pipeline (JHBDPL) in the State of West Bengal, a pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962, (50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date of which the copies of the notification issued under sub-section (1) of Section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the acquisition of the right of User therein for laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL (India) Limited, Jalpaiguri District, State of West Bengal

SCHEDULE BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT							
State : West Bengal							
District	Thana	Village	JL No.	Survey No.	Area		
					Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6		
Jalpaiguri	Rajganj	Binaguri(16)	194	334	00	01	31
				533	00	04	89
				1200	00	10	75
				1248	00	05	84

[F. No. L-14014/111/2019-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.